

भारखंड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय

प्रश्नक,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा विभाग, भारतखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी 0बी 0एस 0ई 0नई दिल्ली ।

विषय:-

रांची, दिनांक - 17-12-67
भारखंड राज्य के अन्तर्गत संघालित निजी विद्यालय को सी 0
बी 0एस 0ई 0नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्रांक-2957 दिनांक-6-12-
2004 को रक्ष करते हुए निदेशानुसार कहना है कि मान्य संसाधन विकास विभाग
भारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संघालित सचिवद्वानन्द
ज्ञान भारती प्रोडेल स्कूल, कुर्डी, डोरन्डा, रांची को सी 0बी 0एस 0ई 0नई दिल्ली से
सम्बन्धित हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं दन्धेयों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत
करने का निर्णय लिया गया है ।

1. विद्यालय के सभी अप्रतिष्ठित शिक्कों को दो वर्ष के अन्दर
प्रतिष्ठित करा लिया जायेगा ।
 2. विद्यालय प्रदन्धन द्वारा 60x60= 3600 स्क्वार्फीट का एक हॉल
का एक हॉल एक वर्ष के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा ।
 3. भारतखंड सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालय से संबंधित
सर्वेक्षण नियम/परिचय विद्यालय के लिये बनाये जायें, उनका अक्षरणा: पालन
विद्यालय द्वारा किया जायेगा एवं मानक सेवा शर्तों नियमावली को अंगीकृत
करेगा एवं गुणवत्तायुक्त पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित करने के लिये राज्य
सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।
 4. विद्यालय में उपकरण तथा पुस्तकालय में जो भी कमी सरकार
के द्वारा बतायी जायेगी उसे छः माह के अन्दर विद्यालय द्वारा पूरा कर लिया
जायेगा ।
 5. निर्धारित मानक से कम भूमि को विद्यालय द्वारा छःमाह से
एक वर्ष के अन्दर विद्यालय के द्वारा विद्यालय के आस-पास ही खरीद/लीज पर ले
ली जायेगी ।
 6. विद्यालय के द्वारा शिक्कों के वेतन का भुगतान अगले माह
से वेतन के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी ।
- उपर्युक्त शर्तों एवं दन्धेयों के अतिरिक्त विभागीय आदेशा 10-
1055 दिनांक-5-9-2001 के अंतर्गत में निम्नलिखित शर्तों एवं दन्धेयों का
अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

कु094030

Sachidanand Gyan Bharti Trust


Managing Trustee

ताफ़ि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो व्यक्त होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जाएगा। विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्तों के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2000 रु. एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4000 रु. एकड़ भूमि विधालय के नाम से निर्धारित या कम से कम 3000 रु. वर्षों के निर्धारित पट्टा/लीज पर होना चाहिये। यदि भविष्य में जॉबोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा।
4. विधालय में हिन्दी भाषा की फ़ंदाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का ज़ेमान्त या कैपिटेशन फ़ीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
7. विधालय का कार्यकाल राष्ट्र के हित में होना चाहिये। शिक्षार्थि विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का संसार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्ध, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा।
8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में विद्यार्थि होना चाहिये।
9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशासना आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीपरान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विधालय संचालन हेतु गठित निष्ठावती के आधार पर गठित शासकीय निकाय के सदस्यों की कार्यविधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्ण से किसी बोर्ड से सम्बन्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या- 1055 दिनांक-5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों एवं शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

कृ०पृ०३३०

Sachidanand Gyan Bharti Trust


Managing Trustee

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा सभापित कागजाती एवं अभिलेखी का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता पैदा हो तो सरकार निर्णित अनापत्ति प्रमाण-पत्र की वापस ले सकती है।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं कन्डिजनों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, नारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनिश्चितताओं को जाँच करा सकती और जॉचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी।

16. शतक विषयक किसी प्रकार के स्वाधिक मामलों का निपटारा अग्रमंथन माननीय नारखंड उच्च न्यायालय, रावी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय संस्थान संधि जो निर्णय लिये जायेगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्वया शर्तों का श्रद्धा उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

विशवासनाजन

[Signature]

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा नारखंड,

रावी।

आपाक 3088 / रावी, दिनांक - 12.12.02

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप विभागा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विधालय के प्रधानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा नारखंड,

रावी।

आपाक 3089 / रावी, दिनांक - 12.12.02

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, नारखंड के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, नारखंड, रावी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा नारखंड,

रावी।

[Signature]

Sachidanand Gyan Bharti Trust

[Signature]
Managing Trustee